57

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 249–तीन/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल नईगढ़ी जिला रीवा के प्रकरण कमांक 01/ए–12/2014–2015

.....

बाबूलाल पटेल पुत्र कृष्णा प्रसाद उम्र–41 वर्ष धंधा–खेती,
निवासी ग्राम–भलुहा पो0 भलुहा तहसील–नईगढ़ी जिला रीवा म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1–रामसखा पटेल पिता लक्ष्मण पटेल
निवासी ग्राम भलुआ तहसील नईगढ़ी– जिला रीवा म0 प्र0
2–म0प्र0 शासन, द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री श्रवण पाण्डेय, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनूपदेव पाण्डेय अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/9/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल, नई गढ़ी जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक रामसखा पुत्र लक्ष्मण पटेल निवासी भलुआ द्वारा भूमि सर्वे कमांक–1699/2 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक मण्डल नईगढ़ी जिला रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का भलुहा एवं पटवारी हल्का इटहा कलां की टीम गठित करते हुए सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिनांक–17.10.2014 को दिए गये । राजस्व निरीक्षक के आदेशानुसार गठित टीम द्वारा दिनांक–25.10.2014 को सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा आदेश दिनांक–30.10.2014 से सीमांकन कार्यवाही को स्वीकृत किया गया । राजस्व निरीक्षक के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3/ उक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि ग्राम भलुहा की भूमि कमांक–1669/2 अनावेदक के स्वामित्व की भूमि है, जो रोड से हटकर है । वहीं पर आवेदक एवं उसके भाइयों के स्वामित्व की भूमि कमांक–1986/2 एवं 1699 गढ़ रोड के दोनों तरफ लगी हुई है जिसे नये सीमांकन में सड़क के दक्षिण तरफ स्थित आवेदक एवं उसके भाइयों के कब्जे बाली उक्त भूमि को समाप्त कर दिया गया और गलत सीमांकन कर सर्वे कमांक–1699/2 में दर्शा दिया गया तथा सड़क से लगी हुई भूमि को अनावेदक की भूमि में दिखा दिया गया । आवेदक चार भाई है, जिनमें से एक भाई की मृत्यु हो गयी है । यह भी बताया गया कि आवेदक सहित चारों भाइयों ने सर्वे कमांक–1986/1/2/3/4 के रूप में पार्टीशन डाल कर भूमि बांट ली है । यह सर्वे कमांक–1986 रोड के दोनों तरफ है जिस पर हम सभी भाइयों का कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, यदि दक्षिण तरफ की भूमि को आवेदक के क्षेत्रफल से कम कर दिया गया तो आवेदक का क्षेत्रफल पूरा ही नहीं होगा इस प्रकार सीमांकन पूर्णतः गलत ढंग से किया गया है । जो निरस्ती योग्य है । इसके अतिरिक्त वहीं

तथ्य निवेदित किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु विचार में लिया जा रहा है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा अपने खाते की भूमि सर्वे क्रमांक–1699/2 के सीमांकन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर से राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमांकन की कार्यवाही की गयी, इस सीमांकन कार्यवाही पर आवेदक द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण बोलते हुए आदेश के साथ राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया है जिसके विस्तृत तथ्य राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक–30.10.14 में वर्णित किए गये है । वहीं यह भी बताया गया कि सम्पूर्ण कार्यवाही आवेदक की उपस्थिति में की गयी है किन्तु आवेदक द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करते हुए हस्ताक्षर सीमांकन कार्यवाही के दौरान तैयार किए गये पंचनामा आदि पर नहीं किए गये । इसके अतिरिक्त इस तथ्य की ओर विशेष ध्यानाकर्षित कराया गया कि आवेदक चार भाई है एवं विवादित भूमि में सभी भाइयों का हिस्सा है किन्तु निगरानी सिर्फ आवेदक द्वारा ही प्रस्तुत की गयी है अन्य हिस्सेदारों द्वारा नहीं, जवकि वे भी आवेदक के भाई है, जो विवादित भूमि में सह खातेदार भी है । यदि सीमांकन की कार्यवाही गलत की गयी होती तो अन्य सहखातेदारों को भी आपत्ति होती । अन्य खातेदारों को कोई आपत्ति नहीं हुई है। सीमांकन की कार्यवाही को सही एवं उचित बताते हुए विधिवत स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुए है कि आवेदक द्वारा सीमांकन के समय जो आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी उसका निराकरण राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने आदेश दिनांक–30.10.14 में विधिवत बोलते हुए आदेश के साथ समग्र वर्णित बिन्दुओ पर दिया गया है । इसके अतिरिक्त सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक–25.10.14 में भी यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि आवेदक सीमांकन के समय मौके पर उपस्थित था किन्तु सीमांकन कार्यवाही पर हस्ताक्षर

करने से इन्कार करते हुए हस्ताक्षर नहीं किए । इसी प्रकार सूचना पत्र भी विधिवत आवेदक को जारी किया जाना पाया गया है जिस पर भी गठित सीमांकन दल द्वारा उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष यह अंकित किया गया है कि आवेदक द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार करते हुए हस्ताक्षर नहीं किए गये । इसी प्रकार मौके पर उपस्थित रहने के बाद भी पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किए जो अभिलेख से प्रमाणित है यह तथ्य भी प्रमाणित है कि विवादित सीमांकन कार्यवाही से अकेले आवेदक को ही आपत्ति है अन्य सहखातेदारों को नहीं । उपरोक्त तथ्यों से भी यह स्पष्ट हो रहा है कि यदि सीमांकन कार्यवाही में किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक या संवैधानिक त्रुटि की गयी होती तो अन्य सह खातेदारों को जो आवेदक के सगे भाई होकर इस भूमि में हिस्सेदार है उन्हें भी उक्त सीमांकन कार्यवाही से आपत्ति होती और वह भी इस प्रकरण में पक्षकार होते, किन्तु ऐसा इस प्रकरण में परिलक्षित नहीं हो रहा है । सीमांकन कार्यवाही संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए विधिवत की गयी है, ऐसा उपरोक्त विश्लेषण से सिद्ध हो रहा है ।

उपरोक्त विष्लेषण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा स्वीकृत की गयी सीमांकन की कार्यवाही उचित एवं विधिसंगत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः राजस्व निरीक्षक का सीमांकन आदेश दिनांक–30.10.2014 स्थिर रखा जाता है । उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी अस्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य